GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)
*****

No. 2011/TG-I/10/e-ticketing for disabled. Pt II New Delhi, dated 29.09.2017

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

MD/CRIS,
Chanakyapuri,
New Delhi.

Chairman & Managing Director/IRCTC,
11th Floor, Statesman House,
Barakhambha Road,
New Delhi.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO.64 OF 2017)

Sub: Issue of photo ID card to persons with disabilities (Divyangjan).

Ref: (i) Commercial Circular No. 18 of 2015 dated 19.03.2015.
(ii) Commercial Circular No. 28 of 2016 dated 29.06.2016.

In partial modification of the instructions issued vide Board's letter dated 19.03.2015 and 29.06.2016 referred to above, the detailed procedure may be amended as under:-

i. Following is added as Para 4(a) in Commercial Circular No. 18 of 2015:-
ARM offices wherever present may also be authorized to receive the application for issue of photo ID to persons with disabilities and they will forward it to the concerned DRM office for verification. After verification, the card issued under the signature of Sr. DCM may be sent back to ARM office in such cases and the applicants can obtain their card from the concerned ARM office. The applicant will be informed telephonically to collect the card (contact number may be mentioned on the form by the applicant). The PwD or his/her representative (with proper authority letter) on his/her behalf can collect the card showing the original certificates.

ii. Para 10 of Commercial Circular No.18 of 2015 is substituted by the following:-

a) **Loss of ID card:** In case of loss of ID card, the applicant needs to submit an application for re-issue of card along with copy of FIR, authorized proof of identity and two passport size photographs to the office from which the card has been issued either in person, through his/her representative (with proper authority letter) or through post. The new card shall, however, be issued by the concerned authority on verification from their records.

b) **Damaged/Mutilated/Torn ID card**: The person with disability or his/her representative (with proper authority letter) on his/her behalf can approach the DRM or ARM office or send through post the application for re-issue of card indicating the reason for reissue and details of physically damaged/torn card like ID card no., Name, Card valid up to, Date of issue etc., if available, along with the authorized proof of identity and two passport size photographs. Since the original card is issued after due verification, there is no need of fresh verification of the disability from the hospital. The new card shall, however, be issued by the concerned authority on verification from their records and on surrendering of the damaged/torn ID card at the time of issue of new card.

The concerned authority must disable the surrendered card before issuing a new one. After disabling of a card, no fresh bookings would be possible but cancellation of reservations done prior to disabling of the card would be permitted by the system. A penalty of ₹150/- may be charged for re-issue of card. The new card will have the same validity as that of surrendered card.

In case of shifting of residence of the individual beneficiary, the application for re-issue of the fresh ID card in the instances mentioned above can be submitted to the Divisional office of the current place of residence which will obtain records from the Divisional office which had issued the lost/physically damaged/torn/expired ID card earlier.

The applicant will be informed telephonically to collect the new card (contact no. may be mentioned on the application by the applicant). The person with disability or his/her representative (with proper authority letter) on his/her behalf can collect the card showing the authorized proof of identity.

iii. Para 8 of Commercial Circular No. 18 of 2015 and para (ii) of Commercial Circular No. 28 of 2016 is substituted by the following:-

Validity of the photo ID card is co-terminus with that of concession certificate.

2. List of acceptable documents as proof of identity, address and date of birth for the purpose of issue/re-issue of photo ID card is enclosed as Annexure.

3. Zonal Railways are requested to ensure effective implementation of the scheme under intimation to this office.

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

<u>Copy to:</u>

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway/Bhusaval, Eastern Railway/Bhuli/Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, NE Railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Maula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow 226 011.
8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

****

a) Photo Identity proof-

i. Aadhaar card/downloaded Aadhaar (e-Aadhaar)
ii. Passport
iii. PAN card issued by Income Tax Department
iv. Voter ID card issued by Election Commission of India
v. Driving License issued by RTO
vi. Photo identity card having serial number issued by Central/State Government.
vii. Photo identity cards having serial number issued by Public Sector Undertakings of State/Central Government, District Administrations, Municipal bodies and Panchayat Administrations.
viii. Student Identity card with photograph issued by recognized School/College for their students.
ix. Photo passbook of running bank account (Scheduled Public Sector Banks, Scheduled Private Sector Indian Banks and Regional Rural Banks only)
x. Credit cards issued by banks with laminated photograph.
xi. Ration/PDS photo card.
xii. Certificate of Identity having photo issued by Gazetted Officer or Tehsildar on letterhead.

b) Date of Birth Proof:-

i. Birth Certificate issued by the Registrar of Births and Deaths or the Municipal Corporation or any other prescribed authority, whosoever has been empowered under the Registration of Birth and Deaths Act, 1969 to register the birth of a child born in India.
ii. Transfer/School leaving/Matriculation Certificate issued by the school last attended/ recognized educational board.
iii. Passport
iv. Aadhaar card/downloaded Aadhaar (e-Aadhaar)
v. PAN card issued by the Income Tax Department.
vi. Voter ID card
vii. Certificate of Date of Birth issued by Group A Gazetted officer or Tehsildar on letterhead.
viii. A declaration given by the Head of the Orphanage/Child Care Home on their official letterhead of the organization confirming the DOB of the applicant.

c) Address Proof:-

i. Water Bill (not older than 3 months).
ii. Telephone Bill (Landline or post paid mobile bill- not older than 3 months)
iii. Electricity Bill (not older than 3 months)
iv. Property Tax receipt (not older than one year)
v. Gas connection bill (not older than 3 months)
vi. Aadhaar card/downloaded Aadhaar (e-Aadhaar)

vii. Passport/ Passport of Spouse/ Passport of parents (in case of minor)(provided the applicant's present address matches the address mentioned in the spouse/parents)

viii. PAN card issued by Income Tax Department

ix. Voter ID card issued by Election Commission of India

x. Driving License issued by RTO.

xi. Photo passbook of running bank account (Scheduled Public Sector Banks, Scheduled Private Sector Indian Banks and Regional Rural Banks only)

xii. Credit card statement (not older than 3 months)

xiii. Post Office passbook/ account statement

xiv. Ration/PDS photo card

xv. Photo identity card having serial number issued by Central/State Government.

xvi. Photo identity cards having serial number issued by Public Sector Undertakings of State/Central Government, District Administrations, Municipal bodies and Panchayat Administrations.

xvii. Signed letter having photo from bank on letterhead/ signed letter issued by employer of registered company on letterhead/ signed letter issued by Recognized Educational institution.

xviii. Income Tax Assessment Order

xix. Registered Rent Agreement.

xx. Certificate of Address issued by Gazetted officer/Tehsildar on letterhead.

xxi. Certificate of Address issued by Village Panchayat head or its equivalent authority.

*****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

****

सं. 2011/टीजी-I/10/ई-टिकटिंग फॉर डिसेबल्ड. पार्ट II नई दिल्ली, दिनांक 29.09.2017

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

प्रबंध निदेशक/क्रिस,
चाणक्यपुरी
नई दिल्ली.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी,
11वीं मंजिल, स्टेटसमैन हाउस,
बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली.

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 64)

विषय: विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांग जनों) को फोटो पहचान-पत्र जारी करना।

संदर्भ: (i) 19.03.2015 को जारी 2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18
(ii) 29.06.2016 को जारी 2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 28

बोर्ड कार्यालय के ऊपर संदर्भित दिनांक 19.03.2015 और 29.06.2016 के पत्रों के तहत जारी अनुदेशों में आंशिक आशोधन करते हुए विस्तृत प्रक्रिया को निम्नानुसार संशोधन किया जाए:-

i 2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18 के पैरा 4(ए) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाए:-

जहाँ-कहीं एआरएम कार्यालय मौजूद हैं उन्हें भी दिव्यांगजनों से फोटो पहचान-पत्र जारी करने हेतु अनुरोध-पत्र प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और वे इसे सत्यापन के लिए संबंधित मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय को अग्रेषित करेंगे। सत्यापन के पश्चात् ऐसे मामलों में सीनियर डीसीएम के हस्ताक्षर से जारी कार्ड वापस एआरएम कार्यालय को भेजा जाएगा और आवेदक संबंधित एआरएम कार्यालय से अपने कार्ड प्राप्त कर सकता है। आवेदक को कार्ड लेने

के लिए टेलीफोन पर सूचित किया जाएगा (आवेदक द्वारा फार्म पर सम्पर्क नम्बर का उल्लेख किया जाए)। दिव्यांगजन अथवा उसका कोई प्रतिनिधि उसकी ओर से मूल प्रमाण-पत्र दिखा कर इस कार्ड को प्राप्त कर सकता है।

ii 2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18 के पैरा 10 पैरा के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क) **<u>पहचान-पत्र का गुम होना:</u>** पहचान-पत्र गुम हो जाने की स्थिति में, आवेदक को, स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि (समुचित प्राधिकार पत्र के साथ) अथवा डाक के माध्यम से एफआईआर की प्रति सहित कार्ड को पुन:जारी करने का अनुरोध-पत्र, पहचान का प्राधिकृत प्रमाण और दो पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ, उस कार्यालय में प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिस कार्यालय से उसे कार्ड जारी किया गया है। बहराहाल, संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपने रिकॉर्ड से सत्यापन किए जाने के बाद नया कार्ड जारी किया जाएगा।

ख) **<u>खराब/ कटे हुए/फटे हुए पहचान-पत्र:</u>** दिव्यांग व्यक्ति अथवा उनकी ओर से उनके प्रतिनिधि (समुचित प्राधिकार पत्र के साथ), मंडल रेल प्रबंधक अथवा एआरएम कार्यालय से संपर्क कर अथवा डाक के माध्यम से पहचान के प्राधिकृत प्रमाण और दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफों सहित कार्ड को पुन: जारी करने के लिए अनुरोध-पत्र जिसमें पुन: जारी करने का कारण और वास्तविक रूप से खराब/फटे कार्ड का विवरण जैसे कि पहचान-पत्र का नं., नाम, कार्ड की वैधता, जारी करने की तारीख आदि, यदि उपलब्ध हो, का उल्लेख करते हुए आवेदन कर सकता है। चूंकि मूल कार्ड यथोचित सत्यापन के पश्चात् जारी किया गया है, इसलिए अस्पताल से दिव्यांगता का पुन: सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल, संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपने रिकॉर्ड से सत्यापन किए जाने के बाद और नए कार्ड जारी करते समय खराब/फटे-पुराने कार्ड को वापस लौटाने के पश्चात् ही नया कार्ड जारी किया जाएगा।

संबंधित प्राधिकारी को नया कार्ड जारी करने से पूर्व वापस लौटाए गए कार्ड को निष्क्रिय करना होगा। कार्ड को निष्क्रिय करने के बाद नई बुकिंग करना तो संभव नहीं होगा परन्तु सिस्टम द्वारा कार्ड को निष्क्रिय किए जाने से पूर्व किए गए आरक्षण को रद्द करना अनुमेय होगा। कार्ड के पुन: जारी करने के लिए ₹ 150/- का जुर्माना लिया जाएगा। नए कार्ड की वैधता सरेण्डर किए गए कार्ड के समान होगी।

व्यक्तिगत लाभप्राप्तकर्त्ता द्वारा आवास बदलने पर ऊपर उल्लिखित दृष्टांतों के अनुसार नए पहचान-पत्र को पुन: जारी करने के लिए आवास के वर्तमान स्थान के मंडल कार्यालय को आवेदन किया जा सकता है। वर्तमान स्थान का मंडल कार्ड निर्गत करने वाले मंडल से रिकॉर्ड प्राप्त करेगा।

आवेदक को नया कार्ड लेने के लिए टेलीफोन पर सूचित किया जाएगा (आवेदक द्वारा फॉर्म पर सम्पर्क नम्बर का उल्लेख किया जाए)। दिव्यांगजन अथवा उसका कोई प्रतिनिधि (समुचित प्राधिकार पत्र के साथ) उसकी ओर से मूल प्रमाण-पत्र दिखा कर इस कार्ड को प्राप्त कर सकता है।

iii 2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18 के पैरा 8 और 2016 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 28 के पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:-

फोटो पहचान-पत्र की वैधता, रियायत प्रमाण-पत्र के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

2. फोटो पहचान-पत्र को जारी/पुन: जारी करने के प्रयोजन के लिए पहचान, पता और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

3. क्षेत्रीय रेलों से अनुरोध है कि इस स्कीम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे और इस कार्यालय को भी सूचित करें।

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम तथा सीसीएम/पीएस सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) का नि सतर्कता(टी), का नि वित्त (सी), निदेशक वित्त (सी), वि.का.अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) तथा सतर्कता (एस एस) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
3) महाप्रबंधक/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसंद मार्ग, नई दिल्ली।
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्यिक रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।

6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली/धनवाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।

7) निदेशक, भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाइपास रोड, मानक नगर, लखनऊ- 2260011

8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोर्ड, नई दिल्ली।

9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।

10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (फ्रोआ), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।

11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।

12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।

13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71

अनुलग्नक

क) फोटो पहचान का प्रमाण-

i. आधार कार्ड/डाउनलोड किया गया आधार कार्ड (ई-आधार)
ii. पासपोर्ट
iii. आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड
iv. भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया वोटर पहचान-पत्र
v. आरटीओ द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस
vi. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र जिस पर क्रमांक दर्ज हो।
vii. राज्य/केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिला प्रशासन, निगम निकायों और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र जिस पर क्रमांक दर्ज हो।
viii. मान्यताप्राप्त स्कूलों/कालेजों द्वारा अपने छात्रों को जारी किया गया फोटोग्राफ वाला पहचान-पत्र।
ix. चालू बैंक खाते का पासबुक जिस पर फोटो लगा हो (केवल अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अधिसूचित निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)
x. बैंक द्वारा जारी किया गया क्रेडिट कार्ड जिस पर लेमिनेटेड फोटो लगा हो
xi. राशन/पीडीएस फोटो कार्ड
xii. लेटरहैड पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी किया गया पहचान प्रमाण-पत्र जिस पर फोटो लगा हो।

ख) जन्म तिथि का प्रमाण:-

i. जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार अथवा नगर निगम अथवा किसी अन्य निर्धारित प्राधिकारी जिसे भारत में जन्मे किसी शिशु के पंजीकरण के लिए जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, द्वारा जारी किया गया जन्मप्रमाण पत्र।
ii. अंतिम विद्यालय/मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण/विद्यालय छोड़ने/मैट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र।
iii. पासपोर्ट
iv. आधार कार्ड/डाउनलोड किया गया आधार कार्ड (ई-आधार)
v. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड
vi. वोटर पहचान पत्र
vii. लेटरहैड पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि प्रमाण-पत्र।

viii. अनाथालय/चाइल्ड केयर होम के प्रधान द्वारा जारी घोषणापत्र जिसमें उनके संगठन के लैटरहैड पर आवेदक की जन्म तिथि की पुष्टि की गई हो।

ग) पते से संबंधित साक्ष्य

i पानी का बिल (जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)

ii टेलीफोन का बिल (लैंडलाइन अथवा पोस्ट पेड मोबाइल बिल - जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)

iii बिजली बिल (जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)

iv संपत्ति कर रसीद (एक वर्ष के अधिक पुरान न हो)

v गैस कनेक्शन बिल (जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)

vi आधार कार्ड/डाउनलोड किया गया आधार कार्ड (ई-आधार)

vii. पासपोर्ट/स्पाउज़ का पासपोर्ट/माता-पिता का पासपोर्ट (अवस्यकों के मामले में) (बशर्ते कि आवेदक का वर्तमान पता तथा स्पाउज़/माता-पिता का पता एक ही हो)

viii. आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड

ix. भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया वोटर पहचान-पत्र

x. आरटीओ द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस

xi. चालू बैंक खाते की पासबुक जिस पर फोटो लगा हो (केवल अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अधिसूचित निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

xii. क्रेडिट कार्ड विवरण (जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)

xiii. डाकखाने की पासबुक/खाते का विवरण

xiv. राशन/पीडीएस फोटो कार्ड

xv. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र जिस पर क्रमांक दर्ज हो।

xvi. राज्य/केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिला प्रशासन, निगम निकाय और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र जिस पर क्रमांक दर्ज हो।

xvii. बैंक के लैटरहैड पर हस्ताक्षर किया हुआ पत्र जिस पर फोटो लगा हो/ पंजीकृत कम्पनी के नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित पत्र/ मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित पत्र

xviii. आयकर आकलन आदेश

xix. पंजीकृत किराया करार

xx. लेटरहैड पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी किया गया आवास का प्रमाण-पत्र

xxi. ग्राम पंचायत के प्रधान अथवा उसके समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आवास का प्रमाण-पत्र